आज्ञा-पत्र

दिनांक	
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप। पत्रावली वा बहस दिनांक 18.11.19 को पेश हो।
18/11/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/12/19 को पेश हो
04.12.19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 19.12.19 को पेश हो।
19/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी व अभिभाषक उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/1/20 को पेश हो।
13/1/20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवरण पृथक से लिखवाया जाकर दाखिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मुजबा रहे। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/93/2014

गोविन्दराम पुत्र चुन्नाराम उम्र 45 वर्ष जाति कुमावत निवासी मोल्यासी तहसील धोद जिला–सीकर। –प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती हीरामणी पत्नी बिशनाराम उर्फ विष्णु कुमार उम्र 25 वर्ष जाति कुमावत निवासी मोल्यासी तहसील धोद जिला–सीकर।
2. पटवारी, पटवार हल्का, दुगोली तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार, धोद जिला सीकर
4. उपपीजयक, धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

01. श्री भगवानसिंह धायल, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री रणधीर काजला, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 13.01.2020

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 145 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 242 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं. 353 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 355 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जिनके नये खसरा सं. 369 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा सं. 376 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा सं. 437 रकबा 2.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 438 रकबा 1.36 हेक्टेयर, खसरा सं. 441 रकबा 2.52 हेक्टेयर वाके ग्राम मोल्यासी तहसील धोद में अवस्थित है। प्रार्थी व दावे में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

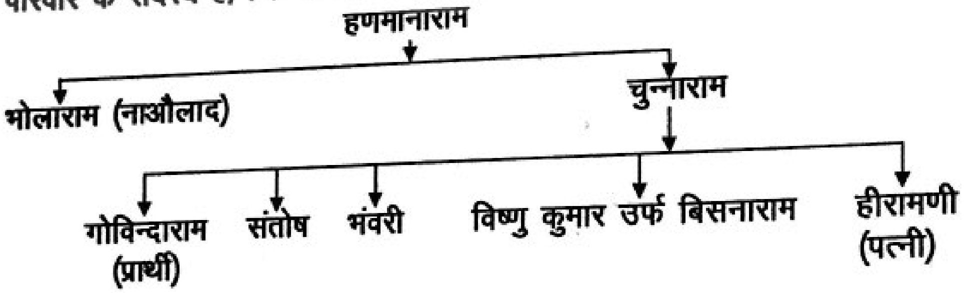

उक्त आराजियात में प्रार्थी के दादा हणमानाराम काश्त करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के उपरांत खातेदारी उनके पुत्र चुन्नाराम, भोलाराम के नाम दर्ज की गई। जिस पर कब्जा काश्त प्रार्थी व वाद–पत्र में अंकित प्रतिवादी सं. 1, 2 व 6 का चला आ रहा है। प्रार्थी के दादा हणमानाराम की मृत्यु के उपरांत नोशलन शेयर स्वतः ही 1/2 हिस्से में से 1/4 निश्चित हो गया, जिस पर प्रार्थी का प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के साथ संयुक्त रूप में कब्जा काश्त चला आ

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

रहा है। उक्त आराजियात में से प्रार्थी के हिस्से में आयी भूमि पर प्रार्थी द्वारा आवासीय मकानात बनाकर कब्जा काश्त है। प्रार्थी मजदूरी करने के लिए विदेश रहता था। उसी दौरान वाद–पत्र में अंकित प्रतिवादी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 को प्रभाव में लेकर उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांकित 14.02.2011 को अपनी पत्नी प्रतिवादीया सं. 7 के नाम बिना किसी कब्जा, अधिकार व प्रतिफल के करवा लिया, जो पैतृक आराजियात होने से प्रार्थी के हक/हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमियां पुराना खसरा सं. 145 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 242 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं. 353 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 355 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जिनके नये खसरा सं. 369 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा सं. 378 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा सं. 437 रकबा 2.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 438 रकबा 1.36 हेक्टेयर, खसरा सं. 441 रकबा 2.52 हेक्टेयर वाके ग्राम मोल्यासी तहसील धोद में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री रणधीर काजला ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि उक्त आराजियात की पूर्व में खातेदारी प्रार्थी व प्रतिवादीगण(मुताबिक वाद–पत्र) के पूर्वज हणमानाराम के नाम दर्ज रही, लेकिन हणमानाराम के फौत होने के बाद उक्त आराजियात हणमानाराम के जायंदा पुत्र भोलाराम व प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। चूंकि भोलाराम के कोई जायंदा संतान नहीं होने से भोलाराम ने अपने सगे भाई चुनाराम के पुत्र प्रार्थी गोविन्दराम को अर्सा 15 वर्ष पूर्व गोद लिया, तब से भोलाराम के हिस्से की आराजियात पर भोलाराम व प्रार्थी गोविन्दराम बहैसियत दत्तक पुत्र काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उक्त आराजियात में चुनाराम के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम व उनका पुत्र विष्णुकुमार उर्फ बिसनाराम प्रतिवादी सं. 2 दिनांक 14.02.2011 तक काबिज काश्त रहे। दिनांक 14.02.2011 को प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम ने अपने हिस्से की आराजियात को वैद्य प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी सं. 5/जवाबदात्री अप्रार्थी सं. 1 हीरामणी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र बेचान कर दिया तथा कब्जा सम्भला दिया। प्रार्थी के आवेदन में दर्शित सजरा खानदान में प्रार्थी गोविन्दराम ने सही वल्दियत का उल्लेख नहीं किया। प्रार्थी भोलाराम के वास्तविक व व्यवहारिक रूप से गोद गया होने से भोलाराम की चल व अचल सम्पति में बहैसियत दत्तक पुत्र अपने सम्पूर्ण परिवार सहित काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम के हिस्से की आराजियात में आवास–निवास की जगह व कृषि भूमि पर प्रार्थी गोविन्दराम का कोई हिस्सा नहीं बनता है। प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम ने अपनी बिमारी व गुजारा चलाने हेतु उक्त आराजियात में से अपने हिस्से में से ही भूमि को प्रतिफल प्राप्त करके ही विक्रय–पत्र दिनांक 14.02.2011 को हीरामणी के हक में निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया, जो कि आदिनांक तक वैद्य व प्रभावी है। प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम व प्रार्थी के दत्तक पिता भोलाराम के मध्य अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा हो चुका था। उसी के मुताबिक नींव–सींव कायम कर प्रार्थी के दत्तक पिता भोलाराम व प्रतिवादी सं. 1 चुनाराम अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे तथा दिनांक 14.02.2011 को निष्पादित विक्रय–पत्र की अनुपालना में उसी दिन से व्यवहारिक व भौतिक रूप से प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से की आराजियात का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 हीरामणी को सुपुर्द किया, तब से उक्त हिस्से पर निर्बाध रूप से अप्रार्थी सं. 1 अपने परिवार सहित बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

03. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित। अतः उपस्थित वकील प्रार्थी से बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा है। अतः टी.आई. स्वीकार की जावें। वकील अप्रार्थी सं. 1 के जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान अवलोकन किया गया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्टया मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2029–32 व सम्वत् 2066–69 से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पहले प्रार्थी के दादा हणमान पुत्र नोपा जाति कुम्हार सा.देह के नाम दर्ज थी, जो बाद में जरिये विरासत हणमान के पुत्रों भोलाराम व चुनाराम के नाम पर दर्ज हुई है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है, जिसमें वाद लाने का अधिकार प्रार्थी को कानूनन प्राप्त है। प्रार्थी भोलाराम के गोद गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– भूमि पैतृक तथा संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थी का भी कब्जा, काश्त हिस्सेनुसार है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– विवादित भूमि पैतृक है। यदि भूमि का **Further** बेचान होता है तो प्रार्थी को क्षतिकारित होगी तथा वाद बहुलता बढ़ेगी। इसलिए यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इसलिए प्रार्थी का आवदेन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजियात कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 145 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 242 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं. 353 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 355 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जिनके नये खसरा सं. 369 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा सं. 376 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा सं. 437 रकबा 2.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 438 रकबा 1.36 हेक्टेयर, खसरा सं. 441 रकबा 2.52 हेक्टेयर वाके ग्राम मोल्यासी तहसील घोद के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, घोद मु. सीकर
घोद म सीकर

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.15 15:33:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: